संख्या–4171 / 9–आ–3–2002–53वि0 / 92टीसी(2)

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–27 नवम्बर, 2002

विषय : भू–अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर / डिक्रीटल की बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–745 / 9–आ–3–2002–53 विविध / 97टी0सी0 (2), दिनांक 26.02.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद की सूचनानुसार विकास प्राधिकरणों पर अर्जित भूमि का प्रतिकर धनराशि रू0 9889.45 लाख डिक्रीटल रू.3883.95लाख कुल 33073.40 लाख तथा आवास एवं विकास परिषद पर प्रतिकर धनराशि रू0 10770.17 लाख डिक्रीटल धनराशि रू0 1781.83 लाख कुल धनराशि रू0 12552.90 लाख बकाया है। अतः सहमत होंगे कि इससे जहाँ भू–स्वामियों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, वहीं प्राधिकरण / शासन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि प्रतिकर / डिक्रीटल की बकाया धनराशि का नियमानुसार मिलान करने के उपरान्त समयबद्ध रूप से भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. कृपया बकाया प्रतिकर / डिक्रीटल की सूचना निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से माहवार शासन को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आवास अनुभाग–2

2. आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।